



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1943 (श10)
(सं0 पटना 768) पटना, शुक्रवार, 3 सितम्बर 2021

सं० पी०पी०एम०-41/2012-5246/कृ०
कृषि विभाग

संकल्प

25 अगस्त 2021

विषय : डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को इस विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेन्ड प्रदान करने की स्वीकृति।

राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक: 17.08.2012 को कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाइपेन्ड देने की एक योजना स्वीकृत की गई। राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक: 04.06.2013 को राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय/बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंगीभूत मत्स्यकी/कृषि अभियंत्रण/गव्य प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाइपेन्ड देने की योजना स्वीकृत की गई। उक्त निर्णय के आलोक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में योजना का कार्यान्वयन किया गया।

2. भारत सरकार द्वारा दिनांक: 7 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से तत्कालीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रवृत्त होने के बाद राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक: 27.12.2016 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के क्षेत्राधिकार में कार्यरत तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली, मत्स्यकी महाविद्यालय, ढोली, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा में वर्ष 2016 तक स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को स्टाइपेन्ड की स्वीकृति प्रदान की गयी। मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.12.2017 को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अधीन अंगीभूत कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों में वर्ष 2017 एवं अनुवर्ती वर्षों में कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी विषय में स्नातक स्तर पर नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेन्ड प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा मोतिहारी में पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। इस महाविद्यालय के स्नातक छात्रों को कृषि महाविद्यालय के समान स्टाइपेन्ड की स्वीकृति की मांग डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा की गयी है। उल्लेखनीय है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन उद्यान महाविद्यालय, नालंदा के स्नातक छात्रों

को स्टाइपेंड की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। अतएव पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के स्नातक में नामांकित बिहार के निवासी छात्रों को स्टाइपेंड की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. पूर्व से स्वीकृत योजना में स्नातक स्तर पर नामांकित प्रत्येक छात्र को 2000/- रुपये प्रतिमाह तथा 6000/- रुपये प्रतिवर्ष पुस्तक आदि के क्रय के लिए स्टाइपेंड प्रदान की जाती है।

5. यह योजना संकल्प निर्गत करने की तिथि से लागू की जायेगी। बिहार के निवासी नामांकित वास्तविक छात्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से स्टाइपेंड मद में राशि की अधियाचना की जायेगी। अधियाचना प्राप्त होने पर राशि की आवश्यकता के अनुसार राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित बजट शीर्ष में बजट उपबंध प्राप्त कर अधियाचित राशि विमुक्त की जायेगी।

प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक: 17.08.2021 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-41/2012 के 175/टि० में प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एन० सरवण कुमार,
सचिव,।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 768-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>